

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:-पं.दी.उ. पंखवाड़ा / 2025 / 221

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 27/8/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चांदो की दाती व मू.अ.
नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बामणी
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 37
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बामणी	37	5/5	आसुराम डा। जेठाराम	अशोक जे प्रजापति

(जगदीश सिंह आशिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 27/8/25

क्रमांक:-सम. / 2025 / 222-224
प्रतिलिपि:-

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्रार्थी अशोक जे प्रजापति बामणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी